मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय
कार्यालयः टैगोर छात्रावास क्रमाँक टी–2, श्यामला हिल, भोपाल–462002
दूरभाष एवं फैक्स : 0755–2660461, ई–मेल : afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org
Technical Support-Call: 0755-6555576 In Case of Emergency: 9479327903
Email :technicalsupport@afrcmp.org

क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2017 / 1466 दिनांक–29.06.2017

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / संचालक / प्राचार्य,
निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाएं,
मध्यप्रदेश।

विषय–सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 के शुल्क विनियमन करने के संबंध में।
संदर्भ– 1.आपकी सोसायटी / ट्रस्ट के अंतर्गत समस्त संचालित संस्थाओं के आगामी ब्लॉक के पाठ्यक्रमों के शुल्क की विनियमन के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव।
2. इस सचिवालय का पत्र क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2017 / 1325 दिनांक 22.06.2017
3. इस सचिवालय का पत्र क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2017 / 212 दिनांक 02.02.17.

***

प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति की दिनांक 28.06.2017 आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त संचालित संस्था के द्वारा शुल्क विनियमन से संबंधित प्रस्ताव एवं शुल्क विनियमन हेतु निर्धारित परीक्षण / निरीक्षण शुल्क ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से भरने हेतु **दिनांक 29.06.2017 (रात्रि 12.00 बजे तक) एक दिवस के लिये लिंक खोली गई है।**

जिन संस्थाओं के द्वारा शुल्क विनियमन से संबंधित प्रस्ताव एवं शुल्क विनियमन हेतु निर्धारित परीक्षण / निरीक्षण शुल्क ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से उक्त तिथि (दिनांक 29.06.2017 (रात्रि 12.00 बजे तक)) भरने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई हैं वे संस्थाएं शुल्क विनियमन से संबंधित सुनवाई हेतु प्रवेश एवं शुल्क विनियमाक समिति के सम्मुख नीचे वर्णित दिनांक एवं समय पर सभागृह टैगोर हॉस्टल क्रमांक–2, श्यामला हिल्स, भोपाल में उपस्थित होवें :–

दिनांक – 30.06.2017 समय– दोपहर 03.00 बजे

संस्था की सुनवाई में उपस्थित न होने पर एक्ट में दिये गये प्रावधानों के अनुसार समिति द्वारा अपने स्तर से कार्यवाही की जा सकेगी।

(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

पृ.क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2017 / दिनांक –

प्रतिलिपि–1. माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति, भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. कार्यपालक निदेशक, क्रिस्प, भोपाल को इस टीप के साथ कि वे इस पत्र को समिति, सचिवालय के बेवपोर्टल के होमपेज पर अपलोड करने की कार्यवाही करें। साथ ही दिनांक **दिनांक 29.06.2017 (रात्रि 12.00 बजे तक)** जिन संस्थाओं द्वारा शुल्क विनियमन से संबंधित प्रस्ताव एवं शुल्क विनियमन हेतु निर्धारित परीक्षण / निरीक्षण शुल्क ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से जमा करा दिया गया है उन संस्थाओं को दिनांक 30.06..17 को दोपहर 03.00 बजे सुनवाई हेतु उपस्थित होने के सूचना देने का कष्ट करें।

(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी